

(367)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

(20)

क्रमांक:—प.3(573)नविधि/3/2010

जयपुर, दिनांक

5 SEP 2011

आदेश

नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2006 को यह आदेश जारी किये हुए हैं कि रियायती दर पर भूमि आवंटन के समस्त प्रकरणों में इस आदेश के पश्चात् आवंटन दर पर ही लीज राशि देय होगी।

चूंकि वृद्धाश्रम आदि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के लिये निर्मित किये जाते हैं, जो सामान्यतया दान की राशि से संचालित होते हैं। यह प्रयोजन उन वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ है, जो आर्थिक दृष्टि से आजीविका उपार्जन के लिये सक्षम नहीं हैं।

अतः वृद्धाश्रमों के मामले में जहां भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है, उन पुराने एवं नवीन प्रकरणों में राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7 के परन्तुक में प्रदत्त अधिकारों का जनहित में उपयोग करते हुए आवंटन के समय की आरक्षित दर का केवल 0.1/10 प्रतिशत वार्षिक लीज राशि वसूल करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संघु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय सचिव, स्थायी शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकायों विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करावें।
7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. सचिव, नगर विकास निगम (समस्त)।
10. अधिकृत पत्राचार।

शासन उप सचिव-तृतीय

(143)